विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : लोक निर्माण

प्रश्न संख्या अतारांकित : 1949

उत्तर की तिथि : 05–03–2022

विषय . पार्किंग निर्माण

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)

सम्बन्धित मन्त्री : मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्यमन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(क) यह सत्य है कि रिकांगपिओ में राष्ट्रीय उच्च मार्ग–505A के साथ पार्किंग निर्माण का कार्य किया जा रहा है; क्या यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नियमों के अनुरूप है; और	जी हां, यह सत्य है कि किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओं में विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग–505A के साथ पार्किंग भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसका नक्शा विभाग के मुख्य वास्तुकार शिमला द्वारा विभाग के तय मानकों के अनुसार (as per PWD specification) बनाया गया है । इस संदर्भ में पार्किंग बनाने की अनुमति सदस्य सचिव State Area Development Authority रिकांगपिओं द्वारा दिनांक 07–02–2022 के तहत प्रदान की गई है । इस कार्य की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24.10.2019 को मु0 1420.33 लाख रू0 की प्रदान की गई है, जिसका कार्य सरकारी ठेकेदार को दिनांक 24.11.2020 को मु0 7,01,59,008 रू0 में आंबटित किया गया तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 08.12.2022 है।
(ख) यह भी सत्य है कि इस पार्किंग के लिए उच्च मार्ग के साथ सरहद बंदी (Demarcation) की गई है; ब्यौरा दें ?	पार्किंग बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि लोक निर्माण विभाग के अधीन आती है। पार्किंग बनाने हेतु भूमि किसी भी विभाग से नहीं ली गई हैं, जिसके लिए सरहद बंदी (Demarcation) की आवश्यकता नहीं है। केवल सामूहिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासन शामिल थे।